्या बचामे के । जयम विकास का जाम व जाक म

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मैनपुरी नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए जनपद न्यायालय, मैनपुरी की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों, फोटोस्टेट, एवं साइकिल स्टैण्ड आदि की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 13.07.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे से जनपद न्यायालय, मैनपुरी के मीटिंग कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी) के साथ उपस्थित हो।

नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण

1.	ठेका केन्टीन	01
2.	ठेका पान सुपारी सिगरेट	02
<i>3</i> .	ठेका दो पहिया वाहन	02
4.	ठेका फल,जूसवेल, सिकंजी, फलों का जूस	01
5.	उबला भुनाचना, मूॅगफली, भुना आलू एवं भुट्टा	01
6.	ठेका फोटो स्टेट	01
<i>7</i> .	ठेका फोटोग्राफी	01
8.	ठेका मंजन, चूर्ण एवं तेल	02

नीलामी की शर्ते निम्नलिखित हैं :--

- 1. यह ठेका वर्तमान वित्तीय वर्ष दिनांक 31.03.2021 तक के लिए वैध होगी।
- 2. जिस ठेकदार के यहाँ ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।
- 3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर) की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।
- 4. जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे ठेके की 40प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 20—20 प्रतिशत की तीन किश्तों (प्रथम किश्त अगस्त,2020, द्वितीय किश्त अक्टूबर,2020 तथा तृतीय किश्त दिसम्बर,2020 तक)में जमा करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दी जायेगी और बकाया धनराशि भू राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।
- 5. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
- 6. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारमाननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम् बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 7. जिस व्यक्ति के नाम ठेला होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के

परिपत्र सं.31 / एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रू.100.00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

- 8. ठेकेदार को अपने दुकान के आस पास सफाई स्वंय करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद के परिपत्र सं.139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।
- 9. माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वंय अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थों की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेगें।
- 10. जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी,उसी में दुकान करना होगा।
- 11. पान के ठेकदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगे, इस सम्बन्ध में उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी।
- 13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नही किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।
- 14. नीलामी प्रकिया में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सामाजिक दूरी एवं मास्क सम्बन्धी समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 15. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें।

वा उसके सन्पाति ते करा पा दिनांकः.02.07.2020 (शक्ति सिंह) सदस्य समिति/ प्रभारी अधिकारी (नजारत)/

अपर जिला जज,कोर्ट नं06, मैनपरी **(मनमोहन सिंह)** सदस्य समिति / अपर जिला जज कोर्ट नं02, मैनपूरी (प्रदीप कुमार-V) अध्यक्ष, नीलामी समिति / विशेष न्यायाधीश (एस.सी / एस.टी.एक्ट) मैनपुरी